तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **किशोरीलाल बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2022/729**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) के पत्रांक एफ. 19(1)()प्रकोष्ठ/सआज/2022/2 दिनांक 04.01.2023 प्राप्त जिसमें अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 पर चाही गई सूचना जिला परिषद अलवर से प्राप्त नही होने के कारण नही दी गई तथा बिन्दु संख्या 2 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने के कारण नही दी गई। कृपया अपील खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध ही नही होने से एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) क तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होन के कारण उपलब्ध नही कराई गई जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 673 दिनांक 23.11.2022 द्वारा अपीलार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	